भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 553

गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तर देने हेतु

<u>सौर तथा पवन ऊर्जा के लिए आयातित मशीनें और अन्य सामग्री</u>

553. श्री प्रमोद तिवारीः

श्री पी॰ एल॰ पुनियाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों में सौर व पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कितनी राशि की मशीनें व अन्य आवश्यक सामग्री विदेशों से आयात की गई है तथा उसमें से अकेले चीन से आयात की जा रही ऐसी सामग्री का अनुपात कितना है; और

(ख) विदेशी सोलर पैनलों और सोलर मॉड्यूलों के आयात को कम करने तथा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार एंटी डंपिंग ड्युटी लगाएगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 2 वर्षों के दौरान सौर तथा पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु मशीनों व अन्य आवश्यक सामग्री का आयात करने में व्यय की गई राशि और उसमें से अकेले चीन से आयात की गई ऐसी वस्तुओं के अनुपात का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) पाटन-रोधी एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) घरेलू उद्योगों द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर पाटन-रोधी जांच करता है। चीन लोक गणराज्य, चीनी तैपेयी, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित अथवा वहां से आयातित सौर सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर एक पाटन-रोधी जांच 23.11.2012 को आरंभ की गई थी। डीजीएडी ने दिनांक 22.05.2014 को अपने अंतिम निष्कर्ष में ऊपर उल्लिखित देशों से सौर सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क आरोपित करने की संस्तुति की। तथापि सरकार द्वारा निम्नलिखित कारणों से पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) भारतीय विनिर्माताओं ने लिखित में यह कहा कि वे पाटन-रोधी याचिका को जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं।

(ii) सरकार एक ओर जहाँ न केवल घरेलू विनिर्माताओं के बारे में चिन्तित है वहीं दूसरी ओर यह विद्युत के मूल्य के बारे में भी चिन्तित है जिसका वहन आम उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माताओं को घरेलू सेलों और मॉड्यूलों के लिए कुछ क्षमताओं को सुरक्षित रखने के प्रावधान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है जिससे घरेलू विनिर्माताओं को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध होता है। कुछ देशों पर पाटन-रोधी शुल्क से अभी भी अन्य देशों से आयात हेतु संभावना बनी हुई है और यह घरेलू विनिर्माताओं के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध नहीं कराता है।

(iii) सरकार द्वारा भारत में वर्ष 2022 तक सौर विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट करने और पवन विद्युत उत्पादन को 60,000 मेगावाट करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान घरेलू विनिर्माण क्षमता वार्षिक रोल आउट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अनुलग्नक

सौर तथा पवन ऊर्जा के लिए आयातित मशीनें और अन्य सामग्री के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.11.2016 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं.553 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष/मद	आयात (अमेरिकी डॉलर)											
	सौर सेल एवं मॉड्यूलय		पवन चक्कियाँ, टरबाइन/इंजन		गीयर तथा गीयरिंग एक्सेल ट्रूथ्ड व्हील्स, ट्रांसमिशन एलिमेन्ट्स पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए, बॉल स्क्रूज, गीयर बॉक्स और टौर्क कनवर्ट सहित स्पीड चेन्जर		जेनरेटरों के पुर्जे (एस/डीसी)		अन्य घूर्णक विद्युत संयंत्रों के पुर्जे		अन्य फोटोसेल्स	
	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात	कुल आयात	अकेले चीन से किया गया आयात
2014-15	820950078	603343630	169067	46079	303648012	116424636	33452124	12162534	332481917	172349624	88780808	43394601
2015-16	2344555766	1960258987	727741	190096	308829637	116393979	35685510	9804190	452807168	240590984	64576006	49960081

*****